न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 88/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/95)

रणजीत पुत्र केशराराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. तीजा देवी पत्नी हनुमान जाति मेधवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।
3. अधीशाषी अभियन्ता जल संशाधन खण्ड रावतसर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री करण सिह – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय दिनांकः 18.07.2025

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा, के निर्णय दिनांक 04.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 तीजा देवी ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश अंकित किया कि प्रार्थीया के खाता के उक्त कि. नं. 05 में 0.025 है0 खाला के अंकन को हटाकर प्रार्थीया का खाता दुरस्त करने के आदेश जारी करने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसील पीलीबंगा के चक 3 जेडब्ल्यू के पं. नं. 84/356 (8) के किला नं. 5 में 0.025 हैक. खाला के अंकन को हटाया जाने के आदेश दिये । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2022 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के निमित जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड मे खाला भूमि अंकित है उसे हटाकर मेरे नाम से खातेदारी दर्ज की जावे। रेस्पोडेन्ट ने चक 3 जे. डब्ल्यू के खाता संख्या 14/10 के पत्थर नं. 84/356 के किला नं. 5 में 0.025 हैक्टयर खाला दर्ज है उसे हटाकर खातेदार दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट लिये बिना एवं ग्राम सरपचं व चिपते व उसी भूमि के खातेदारो को सुने बिना, अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। सैक्शन 136 में यह कथन है कि कनसेन्ट होने पर ही आदेश दुरूस्ती दिया जा सकता है जबकि अपीलान्ट को सुने बिना उसकी खातेदारी भूमि होते हुए किसी की भी सहमति हुए बिना ही आदेश पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को समन रजिस्ट्र्ड ए डी व साधारण समन जारी करने के आदेश दिये तथा आगामी पेशी 20.09.2021 निश्चित की गई मगर समन जारी ही नही किये गये और सीधे अभियान मे दिनांक 04.01.2022 को आदेश पारित कर दिया। मौके पर खाला होते हुए रिकॉर्ड से हटाने से व्यथित पक्षकार अपीलान्ट व अन्य खातेदारो को सिचाई सुविधा बन्द हो जायेगी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार होकर रास्ता भी बन्द कर देगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनाक 04.01.2022 को निरस्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जावे कि सभी पक्षो को सुनकर पुनः निर्णय पारित करे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2016 पेज 394, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि हमने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत खाता दुरस्त का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2022 को पारित किया गया। न्यायालय प्रकरण को रिमाण्ड करते है ओर अधीनस्थ न्यायालय रिमाण्ड प्रकरण मे पूरी प्रक्रिया अपनाकर जांच करते है तो हमे कोई ऐतराज नही है।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 04.01.2022 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 05.07.2024 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश प्रार्थी की गैर हाजरी में बिना पक्षकार बनाये पारित करवाया गया है, इसलिए उक्त निर्णय की जानकारी उसे सर्वप्रथम दिनांक 27.06.2024 को हुई। रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विरूद्व काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलान्ट स्पष्टतया एग्रीव्ड व व्यथित है। अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्व रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब/खण्डन प्रस्तुत नही हुआ है, ऐसी स्थति में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से यह पाया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.01.2022 द्वारा तहसील पीलीबंगा के चक 3 जेडब्ल्यू के पं. नं. 84/356 (8) के किला नं. 5 में 0.025 हैक. खाला के अंकन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को हटाया गया है। धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में मात्र लिपिकिय त्रुटियो को दुरूस्त किए जाने संबधी प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण उक्त दायरे में नही आता है। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी प्रकरण को पुन सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। उक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपील अपीलान्ट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में सभी पक्षो को सुनकर, विस्तृत जांच कर पुनः निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर